Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 37-2018 Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 5, 2018 (PHALGUNA 14, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 5th March, 2018

No.2-HLA of 2018/3/3636.— The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 2- HLA of 2018

THE HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS (AMENDMENT) BILL, 2018

A

Bill

further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2018.

Amendment of section 2 of Haryana Act 8 of 1975.

2. After clause (ja) of section 2 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely:-

'(jaa) "location premium" means an amount over and above the prescribed fee and charges that an applicant is willing to pay to the Government to obtain the licence against applications received under sub-section (1A) of section 3, as determined through bidding/auction process in pursuance of the policy issued by the Government in this regard, from time to time'.'

Amendment of section 3 of Haryana Act 8 of 1975.

3. In section 3 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) in the third proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(b) after the third proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that for such colonies located in such land use zones of various notified development plans, where in the opinion of the Government, the licences are to be issued after invitation of bids or following an auction procedure in pursuance of the policy framed by the Government in this regard from time to time, such application shall be considered to be valid only if it is filed in response to a notice of the Director and fulfils the prescribed terms and conditions.".

(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(1A) All such applications received in response to the notice issued by the Director against policy for auction of licences that are considered to be in order by the Director shall, in addition to the prescribed requirements, also be liable for payment of location premium, as determined through the bidding/auction process, in such manner and in such time frame as conveyed by the Director. The amount received against location premium shall be utilised for provision, maintenance and augmentation of external development works and shall be recovered in addition to the prescribed rates of development charges received against external development works from a colonizer.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Hon'ble High Court in CWP No. 21942 of 2013 titled as Pawan Bhatia and others Vs. State of Haryana and others, in its order dated 26.08.2015 did not favour the first-come-first-served policy and ordered that a transparent method needs to be followed. Hon'ble Apex Court in SLP No. 11082 of 2016 has also granted liberty to the State to formulate transparent policy guidelines in this regard. Hence, an alternate to the said first-come-first-served policy stands formulated and notified vide notification dated 10.11.2017. The said policy envisages grant of specified category of licences through bidding/auction process, after following a prescribed procedure in this regard.

However, the prevailing statutory provisions do not envisage grant of licence through auction/bidding process. Thus the implementation of the said policy dated 10.11.2017 requires incorporating enabling provisions in the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975, so as to allow grant of specified category of licences after following the bidding/auction process.

Hence this Bill.

MANOHAR LAL,
CHIEF MINISTER,
HARYANA.

Chandigarh:
The 5th March, 2018.

R.K.NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2018 का विधेयक संख्या–2 एच.एल.ए.

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2018

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (ञक) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(ञकक) "लोकेशन प्रीमियम" से अभिप्राय है, विहित फीस तथा प्रभारों से अधिक कोई राशि जिसका आवेदक धारा 3 की उप–धारा (1क) के अधीन प्राप्त किए गए आवेदनों के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए सरकार को भुगतान करने का इच्छुक है, जो सरकार द्वारा, इस संबंध में, समय–समय पर, जारी की गई पॉलिसी के अनुसरण में बोली/ नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित की जाए;'।'

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,–

(i) उप–धारा (1) में,–

(क) तृतीय परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) तृतीय परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि विभिन्न अधिसूचित विकास योजनाओं के ऐसी भूमि उपयोग क्षेत्रों में, अवस्थित ऐसे उपनिवेशों के लिए, जहां सरकार की राय में, सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में, समय–समय पर बनाई गई पॉलिसी के अनुसरण में बोलियां आमन्त्रित करने या नीलामी प्रक्रिया अपनाने के बाद अनुज्ञप्तियां जारी की जानी हैं, तो ऐसा आवेदन केवल तभी मान्य समझा जाएगा यदि यह निदेशक के नोटिस के जवाब में दायर किया जाता है तथा विहित निबन्धनों तथा शर्तों को पूरा करता है।''।

(ii) उप–धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''(1क) अनुज्ञप्तियों की नीलामी के लिए पॉलिसी के लिए निदेशक द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में प्राप्त सभी ऐसे आवेदन, जो निदेशक द्वारा सही समझे गए हैं, विहित अपेक्षाओं के अतिरिक्त, लोकेशन प्रीमियम का भुगतान करने के लिए भी दायी होंगे, जो निदेशक द्वारा यथा सूचित ऐसी रीति में तथा ऐसी समय सीमा में बोली/ नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित किया जाए। लोकेशन प्रीमियम के लिए प्राप्त राशि बाहरी विकास संकर्मों के प्रबन्ध, रख–रखाव तथा संवर्धन के लिए उपयोग की जाएगी तथा किसी उपनिवेशक से बाहरी विकास संकर्मों के लिए प्राप्त विकास प्रभारों की विहित दर के अतिरिक्त वसूल की जाएगी।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने सी.डब्लू.पी. नं0 21942 ऑफ 2013: पवन भाटिया व अन्य में बनाम हरियाणा सरकार व अन्य अपने आदेश दिनांक 28.08.2015 द्वारा पहले–आओ–पहले–पाओ नीति को असराहणीय कहते हुए एक पारदर्शी नीति बनाने बारे सुझाव दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एस.एल.पी. संख्या 11082 ऑफ 2016 में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पारदर्शी नीति दिशानिर्देश तैयार करने की स्वतंत्रता प्रदान की है । अतः पहले–आओ पहले–पाओ नीति के विकल्प स्परूप, दिनांक 10.11.2017 की नीति अधिसूचित की गई है ।

मौजूदा वैधानिक प्रावधानों में नीलामी/ बोली प्रक्रिया के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रावधान नहीं है । अतः दिनांक 10.11.2017 की नीति के कार्यान्वयन हेतु, हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम 1975, में सक्षम प्रावधानों को सम्मिलित करना आवश्यक है ताकि बोली/नीलामी प्रक्रिया के द्वारा, ऐसी विशिष्ट श्रेणी में अनुज्ञप्ति प्रदान किया जा सके ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 5 मार्च, 2018.

आर.के. नांदल,
सचिव।

56054—H.V.S.—H.G.P., Chd.